

C-11, SECTOR-6, PANCHKULA Website - www.bench.gov.in

Website – www.hspcb.gov.in E-Mail :hspcbho@gmail.com Ph:0172-2577870-873

To

- 1. The Chief Administrator, Haryana Shahari Vikas Pradhikaran
- 2. The Managing Director, HSIIDC, Haryana.
- 3. The Director, Town & Country Planning Department, Haryana.
- 4. The Director, Urban Local Bodies, Haryana.
- 5. The CEO, Gurugram Metropolitan Development Authority (GMDA).
- 6. The CEO, Faridabad Metropolitan Development Authority (FMDA).

Subject: Environment Construction and Demolition Waste Management Rules, 2025.

Kindly refer to the subject noted above.

In this connection, I have been directed to enclose herewith a copy of the Construction & Demolition (C&D) Waste Management Rules, 2025, which will come into effect from 01 April 2025, for your information and necessary compliance in letter and spirit, as per the duties defined in these rules.

DA/As above.

Digitally signed by MONIKA Date: 14-08-2025

Scientist 45 (SWM Cell) For Member Secretary

Endst.

A copy of above is forwarded to the following for information and further necessary action:

1. Environmental Engineer (IT) HSPCB for uploading the copy of C & D Rules, 2025 on the website of the Board.

DA/As above.



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042025-262313 CG-DL-E-05042025-262313

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 4, 2025/चैत्र 14, 1947 No. 180] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 2025/CHAITRA 14, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली. 2 अप्रैल. 2025

सा.का.नि. 219(अ).—केन्द्रीय सरकार ने देश में संनिर्माण और भंजन अपिशष्ट के पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन, जिसके अंतर्गत उसका पृथक्करण, संग्रहण, पुनर्चक्रण, उपचार और निपटान भी है, तथा अवैज्ञानिक निपटान को निरुत्साहित करने, वैज्ञानिक अपिशष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने, पुनर्चक्रण योग्य मूल्य की हानि को रोकने, तथा ऐसे अपिशष्ट के ढेर से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए निर्माण एवं विध्वंस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को अपनी अधिसूचना संख्याक सा.का.नि.445(अ) तारीख 29 मार्च, 2016 के द्वारा बनाया था।

और केन्द्रीय सरकार ने अपिशष्ट प्रबंधन, अपिशष्ट उपयोग और इसके गैर-अनुपालन से निपटने के लिए विशिष्ट उपायों को सम्मिलित करके तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, पर्यावरणीय प्रतिकर और केंद्रीकृत इंटरफेस आधारित ऑनलाइन निगरानी और अनुपालन निर्धारण पुरःस्थापित करके चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने के लिए उक्त नियमों का व्यापक पुनरीक्षण और सुदृढ़ीकरण करना समीचीन और आवश्यक समझा है;

और निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 458(अ) तारीख 29 जुलाई, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें एसे सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी, उस तारीख से साठ दिन की अविध के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

2376 GI/2025 (1)

और नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया था;

अब, अत: केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को,उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए,जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: -

अध्याय 1

प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संनिर्माण और भंजन) अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2025 है।
- (2) ये नियम 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना. (1) ये नियम किसी भी संरचना के संनिर्माण, भंजन, पुनःनिर्माण, नवीकरण और मरम्मत के सभी क्रियाकलाप पर लागू होंगे।
- (2) ये नियम निम्नलिखित के अधीन आने वाले अपशिष्ट प्रवर्गों या धाराओं पर लागू नहीं होंगे-
 - (क) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;
 - (ख) रक्षा परियोजनाएं, तथा सामरिक प्रकृति की अन्य परियोजनाएं;
 - (ग) प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध के कारण सृजित अपशिष्ट; और
 - (घ) किसी भी अन्य क्षेत्र विशेष अपशिष्ट प्रबंधन नियम में शामिल किया गया अपशिष्ट।
- 3. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;
 - (ख) "प्राधिकृत अभिकरण" से स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट के संग्रहण या परिवहन या दोनों के लिए प्राधिकृत अभिकरण से अभिप्रेत है;
 - (ग) "निर्मित क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जो पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त है:
 - (घ) "केन्द्रीय बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 के अधीन स्थापित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है;
 - (ड.) "संग्रहण बिंदु" से स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता में नामानिर्दिष्ट स्थान अभिप्रेत हैं, जहां उत्पादकों से भिन्न अपशिष्ट उत्पादकों को पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ तरीके से इसके प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट को जमा करना अपेक्षित है;
 - (च) "संनिर्माण" से संरचना, भवन, अवसंरचना और उपयोगिता परियोजनाओं के निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, नवीकरण या पुनर्निमाण करने की प्रक्रिया; जैसे, आवासीय और कार्यालय परिसर, सड़क, राजमार्ग, औद्योगिक परिसर, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जल, अपिशष्ट जल, गैस, कच्चे तेल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, इलेक्ट्रिक केबल, दूरसंचार केबल और ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिए पाइपलाइन बिछाना अभिप्रेत हैं;
 - (छ) "संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट" से संनिर्माण, विध्वंस, पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, मरम्मत और रखरखाव क्रियाकलापों के कारण सृजित अपशिष्ट अभिप्रेत है, और इसमें मिट्टी, रेत और बजरी, ईंटें और चिनाई, कंक्रीट, धातु, लकड़ी, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी और ऐसी अन्य वस्तुएं सम्मिलित हैं;
 - (ज) "ठेकेदार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो वाणिज्यिक आधार पर संनिर्माण या भंजन करने, या अपिशष्ट के संग्रहण, भंडारण और प्रसंस्करण सुविधा या मध्यवर्ती अपिशष्ट भंडारण सुविधा या संग्रहण बिंदुओं तक प्रेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए लगा हुआ है;

- (झ) "भंजन" से किसी भवन या संरचना या उसके किसी भाग को किसी भी माध्यम से खंडित करना, ढहाना, नाश करना या नष्ट करना अभिप्रेत है;
- (ञ) "विकास प्राधिकरण" से ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जो नगर योजना स्किमो, क्षेत्र विकास योजनाओं, भवन निर्माण विधियों को कार्यान्वित करती है, और शहरी क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी है, सहित संनिर्माण, इंजीनियरी, भंजन जिसके अंतर्गत उपयोगिता सेवाएं और सुख-सुविधाएं भी है जैसे आनुषंगिक सिविल प्रचालनों को विनियमित करती है:
- (ट) " विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व" से किसी उत्पादक के संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट का प्रबंधन करने तथा पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पहली अनुसूची के अनुसार पुनर्चक्रण लक्ष्यों को पूरा करने का उत्तरदायित्व अभिप्रेत है:
- (ठ) "दिशानिर्देश" से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार और जारी किया गया दस्तावेज अभिप्रेत है, जिसमें संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट के प्रबंधन, संग्रहण, परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण सहित पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं, विशिष्ट उपायों और प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है;
- (ड) "मध्यवर्ती अपिशष्ट भंडारण सुविधा" से स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता में प्राधिकारी या प्राधिकृत प्रचालक द्वारा संचालित कोई स्थान अभिप्रेत है, जहां पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ रीति से प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए संनिर्माण और भंजन अपिशष्ट का भंडारण किया जा सकता है;
- (ढ) "पारंपरिक अपशिष्ट" से इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता में पड़ा अलग-थलग और अनुपचारित संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट अभिप्रेत है;
- (ण) "स्थानीय प्राधिकरण" कोई ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जिसे स्वच्छता से संबंधित कार्यों का निर्वहन करने के लिए सौंपा गया है, जिसमें संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट का प्रबंधन समाविष्ट है, और इसमें नगर पालिका, पंचायत, छावनी बोर्ड और अधिसूचित क्षेत्र समिति सम्मिलित हैं;
- (त) "ऑनलाइन पोर्टल" से केन्द्रीय बोर्ड द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों तथा अपशिष्ट के उपयोग के कार्यान्वयन और निगरानी के प्रयोजनों के लिए तथा संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट पर एकल बिंदु डाटा संग्रह के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल अभिप्रेत है;
- (थ) "उत्पादक" से ऐसा अपशिष्ट उत्पादक अभिप्रेत है, जो 20000 वर्ग मीटर और उससे अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले भवन या भवन परिसर परियोजना का अधिभोगी या प्रभारी है:
- (द) "पुन:संनिर्माण" से सभी संनिर्माण क्रियाकलाप अभिप्रेत है, जिनमें विद्यमान संरचना को ध्वस्त करने से पहले निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और नवीकरण सम्मिलित है;
- (ध) "पुनर्चक्रक" से पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत इकाई अभिप्रेत है, और वह मूल्यवर्धित उत्पादों के विनिर्माण या अन्यथा के लिए कार्यस्थल पर या कार्यस्थल से बाहर प्रसंस्करण के माध्यम से संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट से पुन:प्रयोज्य सामग्री की पुन:प्राप्ति में लगी हुई है;
- (न) "प्रसंस्करण सुविधा" से पुनर्चक्रक द्वारा संचालित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को संसाधित करने, संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट से मूल्यवर्धित वस्तुओं या सामग्रियों के प्राप्ति, भंडारण, पृथक्करण, उपचार या विनिर्माण की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना से सुसज्जित नामनिर्दिष्ट स्थापन अभिप्रेत है;
- (प) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (फ) "सेवा प्रदाता" से जल आपूर्ति, गैस पाइपलाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क, मल व्ययन, विद्युत, टेलीफोन, जल निकासी आदि जैसी नागरिक और उपयोगिता सेवा प्रदान करने वाली इकाई या प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ब) "मानक प्रचालन प्रक्रिया" से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार और जारी किया गया दस्तावेज अभिप्रेत है, जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से सही तरीके से अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिए अनुदेशों का एक समुच्चय शामिल है, जिसमें उपकरणों, संनिर्माण और भंजन प्रक्रियाओं आदि की मानकीकृत और न्यूनतम आवश्यकताओं का विवरण दिया गया है;

- (भ) "राज्य बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 के अधीन स्थापित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति भी है;
- (म) "लक्ष्य" से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अधीन इकाइयों के लिए अनिवार्य उत्तरदायित्व के रूप में और अपिशष्ट के उपयोग के लिए, सृजित संनिर्माण और भंजन अपिशष्ट की मात्रा और उपयोग की जाने वाली संनिर्माण सामग्री के विस्तार के तत्स्थानी निर्धारित मूर्त संख्या अभिप्रेत है;
- (य) "अपशिष्ट" से इन नियमों के प्रयोजन के लिए संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट अभिप्रेत है, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो;
- (कक) "अपिशष्ट उत्पादक" से अर्थ परियोजना जिसका संनिर्माण या पुन:संनिर्माण या भंजन या नवीकरण या पुनर्निर्माण क्रियाकलाप पर पूर्ण नियंत्रण है जिसके परिणामस्वरूप अपिशष्ट का सृजन होता है का अधिभोगी अभिप्रेत है;
- (कख) "अपशिष्ट प्रबंधन योजना" से पहली अनुसूची के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु उत्पादकों द्वारा तैयार किया गया, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित दस्तावेज अभिप्रेत है:
- (कग) "अपिशष्ट उपयोग योजना" से संनिर्माण और पुन:संनिर्माण परियोजनाओं के अधिभोगियों द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज अभिप्रेत है, जिसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किया गया है, ताकि दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के अधीन अपिशष्ट उपयोग लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधित संनिर्माण और भंजन अपिशष्ट का उपयोग किया जा सके।
- (2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

अध्याय - 2

संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट का प्रबंधन

- 4. संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट का प्रबंधन.- (1) प्रत्येक उत्पादक इन नियमों के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ रीती से अपने द्वारा सृजित संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट के निपटान और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा। वह प्रथम अनुसूची में निर्धारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों को भी पूरा करेगा।
- (2) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ढांचे का कार्यान्वयन और निगरानी एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, और निम्नलिखित संस्थाएं पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण कराएंगी, अर्थात्: -
 - (क) उत्पादक;
 - (ख) मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा का संचालक;
 - (ग) पुनर्चक्रक; और
 - (घ) स्थानीय या विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित संग्रहण बिंदु।
- (3) एक से अधिक श्रेणियों में आने वाली इकाई को उन श्रेणियों में अलग से रजिस्ट्रीकरण कराना होगा तथा तदनुसार इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करना होगा।
- (4) ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन की प्राप्ति होने पर, केंद्रीय बोर्ड ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- (5) उपनियम (2) में निर्दिष्ट कोई इकाई इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण के बिना कारबार नहीं करेगी।
- (6) उपनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इकाईयां इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न होने वाली किसी इकाई के साथ व्यौहार नहीं करेंगी।

- (7) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत इकाई गलत सूचना प्रस्तुत करती है या रजिस्ट्रीकरण या रिटर्न या रिपोर्ट या इन नियमों के तहत प्रदान की जाने वाली या प्रस्तुत की जाने वाली सूचना को जानबूझकर छिपाती है या किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, ऐसी इकाई का पंजीकरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुनवाई का अवसर देने के बाद पांच साल तक की अविध के लिए रद्द किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त, नियम 18 के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क भी लगाया जा सकता है।
- (8) केन्द्रीय बोर्ड इन नियमों के अधीन इकाईयो के रजिस्ट्रीकरण और ऑनलाइन पोर्टल के रखरखाव के लिए ऐसी फीस ले सकेगी जो केन्द्रीय सरकार के परामर्श से अवधारित की जाए
- (9) उपनियम (8) के अनुसार सृजित कोष को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के बीच बीस से अस्सी के अनुपात में साझा किया जा सकेगा।
- **5. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों का अनुपालन -** (1) स्थानीय प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण इन नियमों के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- (2) संनिर्माण, पुन:संनिर्माण या भंजन परियोजना में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों को अपशिष्ट प्रबंधन योजना के माध्यम से विनियमित किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकरण और विकास प्राधिकरण सभी विद्यमान संनिर्माण परियोजनाओं के संबंध में दिए गए या दिए जाने वाले अनुमोदन में अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की अपेक्षा को सम्मिलित करेंगे।
- (3) प्रत्येक उत्पादक प्रत्येक परियोजना के संबंध में अपिशष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा, जिसमें संनिर्माण, पुन:संनिर्माण और भंजन परियोजना में सभी धाराओं से अपिशष्ट की मात्रा का निर्धारण किया जाएगा तथा उसे अनुमोदन के लिए स्थानीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (4) अपशिष्ट के मलबे वाले भाग, जैसे सीमेंट कंक्रीट, ईंटें, सीमेंट पलस्तर, पत्थर, अनगढ़े पत्थर, खपरा, मृतिका शिल्प आदि को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (5) संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट में उपयोग योग्य या पुनः विक्रय योग्य सामग्रियां, जैसे लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, धातु और कांच को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों के निर्धारण के लिए नहीं माना जाएगा तथा उनका निपटान प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।
- (6) जब तक पुनर्चक्रण सुविधा प्रचालित नहीं हो जाती, स्थानीय प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण स्वयं या किसी प्राधिकृत प्रचालक के माध्यम से मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा स्थापित करेगा और उसका प्रचालन करेगा तथा उसे ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करेगा।
- (7) उत्पादक अपने सम्पूर्ण अपशिष्ट को सीधे प्रसंस्करण सुविधा में जमा करेगा तथा कार्यशील–प्रसंस्करण सुविधा की अनुपस्थिति में सम्पूर्ण सुजित अपशिष्ट को मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा में जमा किया जाएगा।
- (8) यदि उत्पादक स्थानीय प्रसंस्करण कर रहा है, तो उसे संपूर्ण बचे हुए या अप्रसंस्कृत अपशिष्ट को प्रसंस्करण सुविधा में जमा करना होगा।
- (9) रजिस्ट्रीकृत इकाईयां ऑनलाइन पोर्टल पर अपशिष्ट उत्पादन, संभलाई, भंडारण, पुनर्चक्रण और मूल्य वर्धित उत्पादों पर डाटा प्रविष्ट करने के लिए उत्तरदायी होंगी, जिसे कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा सत्यापित किया जाएगा, ताकि वित्तीय वर्ष में सुजित अपशिष्ट के सामग्री अतिशेष संतुलन का मिलान किया जा सके।
- (10) उत्पादक अपशिष्ट के निपटान के ढंग पर ध्यान दिए बिना, रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रक से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र क्रय करके अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य को पूरा करेगा;
- (11) उत्पादकों, पुनर्चक्रको और मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा प्रचालकों द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरे को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा और किसी भी विसंगति की दशा में, उत्पादक द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए न्यूनतम आंकड़े पर विचार किया जाएगा;
- (12) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र केन्द्रीय बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन होंगे।

- (13) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के संव्यवहार से प्राप्त आय को कार्यान्वयन अभिकरण और पुनर्चक्रक के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा।
- (14) कार्यान्वयन अभिकरण उल्लंघन और गैर-अनुपालन के मामलों को संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति को प्रवर्तन कार्रवाई जिसके अंतर्गत पर्यावरण प्रतिकार का उदग्रहण भी है, करने के लिए भेजेगी।
- **6. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का सृजन.-** (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रक के पक्ष में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का सृजन करेगा, जिसकी संगणना नीचे दी गई सारणी के अनुसार की जाएगी-

सारणी

क्र. सं.	पुनर्चक्रण का ढंग.	प्रसंस्करण ढंग. को आबंटित भार (डब्ल्यू _{पी}) .
(1)	(2)	(3)
1.	स्व-स्थाने पुनर्चक्रण	1.2
2.	कार्यस्थल पुनर्चक्रण	1

- (2) उपनियम(1) में निर्दिष्ट सारणी के प्रयोजन के लिए,
 - (1) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र के सृजन के लिए पात्र अपशिष्ट की मात्रा की संगणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाएगी, अर्थात:-

1. *क्यू $_{\text{$\frac{1}{2}$ पी ant}} =$ क्यू $_{\text{$\frac{1}{2}$}} \times$ सी $_{\text{$\text{$v}}_{\text{$\frac{1}{2}$}}} \times$ डब्ल्यू $_{\text{$\frac{1}{2}$}} =$

- क्यू क्षाकार प्रमाण पत्र के निर्माण के लिए पात्र मात्रा है, क्यू भ प्रसंस्कृत उत्पाद की मात्रा है और सी एक संपरिवर्तन कारक (निर्गम की एक इकाई के उत्पादन के लिए अपेक्षित अपिशष्ट की मात्रा) है और डब्ल्यू भ प्रसंस्करण ढंग को आबंटित भार है
- (2) प्रत्येक अंत्य उत्पाद के लिए संपरिवर्तन कारक **सी एफ का** अवधारण केंद्रीय बोर्ड द्वारा, पुनर्चक्रको के परामर्श से, प्रयुक्त प्रौद्योगिकी और अन्य कारकों के आधार पर किया जाएगा;
- (3) पुनर्चक्रण के बहुविध अंत्य उत्पादों की दशा में, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र के सृजन के लिए संपरिवर्तन कारक की संगणना ऐसे सूत्र द्वारा की जाएगी, जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा संचालन समिति के पूर्व अनुमोदन से अवधारित की जाए; और
- (4) तकनीकी प्रगति, सामग्री की उपलब्धता और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर केंद्रीय बोर्ड द्वारा **डब्ल्यू _भ** के भार पुनरीक्षित किया जाएगा ।

उदाहरण:

यदि 100 टन प्रसंस्कृत अपशिष्ट उत्पाद का उत्पादन किया जाता है, और अंत्य उत्पाद संपरिवर्तन कारक 0.8 है, तो ऐसे संपरिवर्तन के लिए पात्र विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र निम्नानुसार होगा:

- (i) स्व-स्थाने प्रसंस्करण क्यू \$ \$ \$ \$ \$ \$ 1.2 = 96 टन;
- (ii) कार्यस्थल से बाहर प्रसंस्करण क्यू \$ \$ \$ \$ \$ 1 = 80 टन;

- (3) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष के लिए विधिमान्य होगा जिसमें इसे सृजित किया गया है, तथा उक्त तीन वर्ष की अविध की समाप्ति के पश्चात प्रमाणपत्र स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
- (4) प्रत्येक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र को अद्वितीय संख्या से चिह्नित किया जाएगा। जो इसके उत्पादन वर्ष पुनर्चक्रण कोड, अंत्य उत्पाद कोड और विशिष्ट कोड को उपदर्शित करता होगा तथा इसे 100, 200, 500 और 1000 टन के भार वर्ग में जारी किया जाएगा।
- 7. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का संव्यवहार (1) कोई उत्पादक वर्तमान वर्ष की अपनी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्व वर्तमान वर्ष के दायित्व के पांच प्रतिशत सिहत पूर्ववर्ती वर्षों की कोई शेष दायित्व सिहत सीमित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र क्रय कर सकेगा।
- (2) जैसे ही उत्पादक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र क्रय करता है, यह स्वतः ही उसके दायित्व के विरुद्ध समायोजित हो जाएगा, जिसमें समायोजन में पूर्व दायित्व को प्राथमिकता दी जाएगी तथा इस प्रकार समायोजित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र स्वतः ही समाप्त और रद्द हो जाएगा।
- (3) प्रत्येक उत्पादक और पुनर्चक्रक के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की उपलब्धता, अपेक्षा और अन्य विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।
- (4) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से संबंधित सभी लेन-देन उत्पादकों और पुनर्चक्रक द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर रिकॉर्ड किए जाएंगे और प्रस्तुत किए जाएंगे ।
- (5) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के विनिमय या अंतरण के लिए एक आदेश द्वारा, एक या एक से अधिक व्यापारिक प्लेटफार्म स्थापित कर सकेगी।
- (6) उप-नियम (5) के अधीन स्थापित प्लेटफार्म का संचालन, इन नियमों के अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित और विनियमित किया जाएगा।
- (7) केन्द्रीय बोर्ड विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान के लिए उच्चतम और निम्नतम मूल्य निर्धारित करेगा जो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों की पूर्ति न होने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के क्रमशः सौ प्रतिशत और तीस प्रतिशत के समान होगा।

अध्याय - 3

प्रसंस्कृत अपशिष्ट का उपयोग

8. प्रसंस्कृत अपशिष्ट का उपयोग और अनुश्रवण. - (1) प्रसंस्कृत अपशिष्ट का उपयोग 20000 वर्ग मीटर या उससे अधिक के निर्मित क्षेत्र वाले सभी संनिर्माण क्रियाकलापों और सड़क निर्माण में क्रमशः द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची में उपवर्णित लक्ष्यों के अनुसार किया जाएगा।

- (2) अपशिष्ट उपयोग ढांचे को नियम 4 में अपेक्षित संस्थाओं के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के साथ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।
- (3) स्थानीय प्राधिकरण और विकास प्राधिकरण अपने-अपने क्षेत्राधिकार में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संनिर्माण परियोजनाओं के लिए अपशिष्ट के उपयोग के लक्ष्यों का अनुश्रवण करेंगे।
- (4) केन्द्रीय बोर्ड, केन्द्रीय सरकार और उसके किसी अभिकरण के अधीन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों को कवर करते हुए सड़क संनिर्माण क्रियाकलापों में अपशिष्ट के उपयोग के लक्ष्यों का अनुश्रवण पोर्टल के माध्यम से करेगा।
- (5) राज्य बोर्ड उपनियम (4) में उल्लिखित सड़कों के अलावा, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या जिला प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राजमार्गों और सड़कों को कवर करने वाली सड़क संनिर्माण गतिविधियों में अपशिष्ट के उपयोग के लक्ष्यों का अनुश्रवण करेगा।
- (6) निर्माण क्रियाकलापों और सड़क निर्माण में अपशिष्ट के उपयोग को अनुमोदित अपशिष्ट उपयोग योजना द्वारा विनियमित किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकरण और विकास प्राधिकरण सभी मौजूदा निर्माण परियोजनाओं के संबंध में दिए गए या दिए जाने वाले अनुमोदन में अपशिष्ट के उपयोग की अपेक्षाओं को सम्मिलित करेंगे।
- (7) इस नियम के अधीन उपयोग के लिए प्रसंस्कृत अपशिष्ट की मात्रा का मूल्यांकन, लकड़ी, लोहा, धातु, प्लास्टिक, कांच और ऐसी अन्य सामग्रियों के सिवाय, भार या आयतन के आधार पर कुल शुद्ध या ताजा निर्माण सामग्री की अपेक्षा के प्रतिशत के रूप में गणना की जाएगी।
- (8) केवल मलबे से उत्पन्न प्रसंस्कृत अपशिष्ट जैसे सीमेंट कंक्रीट, ईंट, सीमेंट प्लास्टर, पत्थर, मलबे, टाइल्स आदि से उत्पन्न अपिशष्ट को ही निर्धारित लक्ष्यों के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए विचार किया जाएगा, तथा अन्य पुनः विक्रय योग्य या पुनः उपयोग योग्य अपशिष्ट जैसे लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, धातु और कांच के उपयोग पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (9) पुनर्चक्रक यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पाद, वर्तमान में लागू किसी विधि के अधीन उपवर्णित मानकों और तकनीकी विनिर्देशों,यदि कोई हो, के अनुसार गुणवत्ता का अनुपालन करेगा।
- (10) संनिर्माण कार्यकलाप और सड़क निर्माण करने वाले व्यक्ति को इस नियम के अंतर्गत अपशिष्ट के उपयोग के लक्ष्य को पूरा करना होगा और ऐसा करने में वह सेवा प्रदाता, ठेकेदार, प्राधिकृत अभिकरण, पुनर्चक्रक या स्थानीय प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित अन्य अभिकरणों से सहायता ले सकेगा।

अध्याय –4

पणधारियों की उत्तरदायित्व

- 9. अपशिष्ट उत्पादक और उत्पादक की उत्तरदायित्व। (1) अपशिष्ट उत्पादक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे, अर्थातु:-
 - (क) अपशिष्ट को एकत्रित करना और अलग करना ताकि पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को अलग-अलग सामग्री में परिवर्तित किया जा सके;
 - (ख) अपशिष्ट का भंडारण करना तथा उसके पुनर्चक्रण के लिए कार्यवाही करना, चाहे वह स्वस्थाने प्रसंस्करण हो या ऑफ-साइट प्रसंस्करण;

- (ग) सम्पूर्ण अपशिष्ट को संग्रहण स्थल या मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा तक अंतरित करने या उपयुक्त होने पर अपशिष्ट को यथोचित किसी प्राधिकृत अभिकरण या पुनर्चक्रक को सौंपना;
- (घ) वायु प्रदूषण, अपशिष्ट के बिखराव के निवारण तथा अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण के दौरान लोक न्यूसेंस से बचने के लिए कार्यवाही करना;
- (ड.) स्थानीय प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण और अन्य कार्यान्वयन और प्रवर्तन अभिकरणों के आदेशों और निदेशों का अनुपालन करना।
- (2) उत्पादक को अपशिष्ट के पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन के लिए केन्द्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड, स्थानीय प्राधिकरण और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
- (3) उत्पादक को 'आईएस 4130: भवनों के विध्वंस भंजन के लिए सुरक्षा कोड' या स्थानीय प्राधिकरण और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट भंजन के लिए किसी अन्य मानक संचालन प्रक्रियाओं और उपायों के अनुपालन में भंजन करना होगा।
- (4) उत्पादक किसी अधिकारिता क्षेत्र में सभी निर्माण क्रियाकलापों के लिए स्थानीय प्राधिकरण और विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से एक एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा।
- (5) उत्पादक को कोई भी भंजन गतिविधि शुरू करने से पहले स्थानीय संबंधित को सूचित करना होगा।
- 10. ठेकेदारों, सेवा प्रदाताओं और प्राधिकृत अभिकरणों के उत्तरदायित्व ठेकेदार, सेवा प्रदाता और प्राधिकृत अभिकरणों,
- (क) अपशिष्ट उत्पादक को स्रोत से संग्रहण स्थलों या मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा या पुनर्चक्रण के लिए प्रसंस्करण सुविधा तक अपशिष्ट एकत्रित करने में सहायता करना;
- (ख) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों को पूरा करने तथा अपशिष्ट के उपयोग और इन नियमों के सख्त अनुपालन में सेवाएं प्रदान करने में अपशिष्ट उत्पादक की सहायता करना;
- (ग) स्थानीय प्राधिकारियों, अपशिष्ट उत्पादकों, पुनर्चक्रकों और मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधाओं के प्रचालकों के साथ समन्वय स्थापित करना, ताकि अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं या मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधाओं तक प्रेषण सुगम बनाया जा सके और संबंधित प्राधिकारियों के साथ ऐसी सूचना साझा की जा सके;
- (घ) 'आईएस 15883: 2021 निर्माण परियोजना प्रबंधन भाग 11' के लिए मार्गदर्शन सहित संधारणीय निर्माण प्रथाओं का क्रियान्वयन करना;
- (ड.) अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए पर्याप्त अवसंरचना स्थापित करना, अपशिष्ट के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन और प्रसंस्कृत अपशिष्ट के उपयोग के संबंध में अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को प्रशिक्षण देना और जागरूक बनाना;
- (च) संनिर्माण और भंजित अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से उचित प्रबंधन के लिए केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड या अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा अधिकथित मानक संचालन प्रक्रियाओं और अन्य उपायों का पालन करना:
- 11. मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा या संग्रहण स्थल के संचालकों के उत्तरदायित्व मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा और संग्रहण स्थल के संचालक को -
 - (क) मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधाओं पर अपशिष्ट की प्राप्ति, भंडारण और प्रेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय प्राधिकरण, अपशिष्ट उत्पादकों, सेवा प्रदाताओं और अधिकृत अभिकरणों के साथ समन्वय करना तथा कार्यान्वयन और प्रवर्तन अभिकरणों के साथ ऐसी जानकारी साझा करेगा;
 - (ख) निचले इलाकों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए, स्वास्थ्यकर भराई सुविधा के सिवाय, अपशिष्ट के निपटान से पहले स्थानीय प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी;
 - (ग) केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों और कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अधिकथित मानक संचालन प्रक्रियाओं और अधुपायों का पालन किया जाएगा;

- (घ) प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर और 15 अप्रैल तक पूर्ववर्ती छमाही के दौरान अपशिष्ट की प्राप्ति, भंडारण, पुनर्चक्रण और प्रेषण के आंकड़ों के समाकलन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना दी जाएगी तथा संबंधित वित्तीय वर्ष के बाद 30 मई को या उससे पूर्व ऑनलाइन पोर्टल पर वार्षिक रिटर्न की जाएगी;
- (ङ) अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन की दशा मे इकाई द्वारा नियम 10 के अधीन प्रधिकृत अभिकरण के उत्तरदायित्व का अनुपालन किया जाएगा;

12. पुनर्चक्रक के उत्तरदायित्व- पुनर्चक्रक को -

- (क) प्रसंस्करण सुविधा पर अपशिष्ट की प्राप्ति, भंडारण, पुनर्चक्रण और प्रेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय प्राधिकरण, अपशिष्ट उत्पादकों, सेवा प्रदाताओं, अधिकृत अभिकरणों और अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ समन्वय करना तथा कार्यान्वयन और प्रवर्तन अभिकरणों के साथ ऐसी जानकारी साझा करना;
- (ख) निचले इलाकों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अपिशष्ट के निपटान से पहले स्थानीय प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करना, जिसमें अंतिम उपयोगकर्ताओं को पुनर्चक्रित सामग्री भेजना सम्मिलित नहीं है;
- (ग) केंद्रीय बोर्ड या राज्य द्वारा अधिकथित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं तथा अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के अधुपायों का पालन करना :
- (घ) पुनर्नवीनीकृत उत्पादों के संबंध में उत्पाद गुणवत्ता मानकों और तकनीकी विनिर्देशों, या अंतिम उपयोगकर्ता अपेक्षाओं का अनुपालन करना , जैसा कि वर्तमान में लागू किसी भी विधि के अधीन लागू हो सकता है;
- (ङ) पुनर्चक्रण के पश्चात अस्वीकृत या निष्क्रिय सामग्री का निपटान केंद्रीय बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक बिंदुओ के अनुसार निकटतम स्वास्थ्यकर भराई सुविधा में करना;
- (च) प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर और 15 अप्रैल तक पूर्ववर्ती छमाही के दौरान अपशिष्ट की प्राप्ति, भंडारण, पुनर्चक्रण और प्रेषण के आंकड़ों के समाकलन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना दी जाएगी करना तथा संबंधित वित्तीय वर्ष के बाद 30 मई को या उससे पूर्व पोर्टल पर वार्षिक रिटर्न दाखिल करना;
- **13. केन्द्र सरकार के उत्तरदायित्व.-** (1) केन्द्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी मंत्रालय, विभाग, संस्थान और संगठन निविदा दस्तावेजों, रुचि की अभिव्यक्ति, प्रस्ताव के लिए अनुरोध आदि की शर्तों को संरेखित करके इन नियमों के अनुपालन में निर्माण गतिविधियाँ करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (2) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:-
 - 1) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्रसंस्कृत अपशिष्ट उत्पादों और वस्तुओं को शामिल करने के लिए 'दरों की अनुसूची' को उत्तरोत्तर अद्यतन करना;
 - 2) संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) में लगे स्थानीय प्राधिकारियों को संवेदनशील बनाना;
 - 3) भवन योजना परिमट, भंजन परिमट और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित मॉडल भवन उप-नियमों के उपबंधों को इन नियमों के उपबंधों के साथ संरेखित करना;
 - 4) विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन और रेटिंग में इन नियमों के उचित अनुपालन को पूर्व-अपेक्षित रूप में शामिल करना।
 - (3) सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क निर्माण परियोजनाओं में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करने सहित उपाय करेगा और ऐसे उपयोग के लिए संबंधित तकनीकी विनिर्देश और मार्गदर्शन मैनुअल तैयार करेगा।
 - (4) ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता विभाग के माध्यम से निर्माण और भंजन अपशिष्ट के प्रबंधन और इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता क्रियाकलाप और कार्यक्रम चलाएंगे।
 - (5) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय प्रसंस्कृत अपिष्ट वस्तुओं को सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर सूचीबद्ध करने की सुविधा के लिए उपाय करेगा।

14. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उत्तरदायित्व.- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा-

- (1) पोर्टल की स्थापना, संचालन और रखरखाव, तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ढांचे के अनुपालन की निगरानी:
- (2) इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से छह महीने के भीतर पोर्टल की कार्यक्षमता सुनिश्चित करना, संस्थाओं का पंजीकरण, और ऑनलाइन तरीके से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व और अपशिष्ट उपयोग ढांचे का कार्यान्वयन:
- (3) इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित सड़क निर्माण में अपशिष्ट उपयोग ढांचे के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- (4) इन नियमों के अंतर्गत सौंपी गई उत्तरदायित्वो को पूरा करना, जिसमें विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र जारी करना भी शामिल है:
- (5) इन नियमों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए केन्द्र तथा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय करना;
- (6) निम्नलिखित पर दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना और कार्यान्वित करना-
 - (क) पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण, अपिशष्ट प्रबंधन योजना का अनुमोदन, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र निर्माण, प्रमाणपत्रों का हस्तांतरण या विनिमय, दायित्व की पूर्ति, रिटर्न आदि को कवर करते हुए 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ढांचे का कार्यान्वयन':
 - (ख) 'अपशिष्ट उपयोग ढांचे का कार्यान्वयन' जिसमें परियोजनाओं का रजिस्ट्रीकरण, अपशिष्ट उपयोग योजना का अनुमोदन, अपशिष्ट उपयोग से छूट, दायित्व की पूर्ति, रिटर्न आदि शामिल हैं;
 - (ग) 'अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा प्रबंधन' जिसमें अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण, परिवहन, पुनर्चक्रण और निपटान तथा अन्य पहलू शामिल हैं।
- (7) रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं से सूचना के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए, इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार ऑनलाइन फॉर्म और रिटर्न तैयार करना;
- (8) इन नियमों का प्रवर्तन, तथा रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं के अनुपालन का आकलन करने के लिए यादृच्छिक जांच का संचालन करना तथा इस प्रयोजन के लिए बोर्ड राज्य सरकार या किसी अन्य एजेंसी की सहायता ले सकता है;
- (9) अपशिष्ट और प्रसंस्कृत अपशिष्ट पर आंकड़े का दस्तावेजीकरण, संकलन, तथा केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- (10) इन नियमों के उल्लंघन और गैर-अनुपालन के विरुद्ध कार्रवाई करना;
- (11) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकारों के शहरी स्थानीय निकाय अधिकारियों सहित क्षमता निर्माण विकसित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना:
- (12) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना;
- (13) सभी हितधारकों का केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली के साथ एकीकरण;
- (14) इस अध्याय के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इन नियमों के अंतर्गत प्रत्यायोजित कोई अन्य कार्य।
- 15. भारतीय मानक ब्यूरो और भारतीय सड़क कांग्रेस की उत्तरदायित्व भारतीय मानक ब्यूरो और भारतीय सड़क कांग्रेस निर्माण क्रियाकलाप के संबंध में पुन:चक्रित सामग्रियों और निर्माण एवं भंजन अपशिष्ट उत्पादों के उपयोग के लिए आचरण संहिता और मानकों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होंगे और इंडियन रोड कांग्रेस की भूमिका सड़कों के निर्माण से संबंधित मानकों और प्रथाओं तक विशिष्ट होगी।
- 16. राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण, तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति की उत्तरदायित्व (1) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का शहरी विकास और नगर प्रशासन विभाग निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा-

- (क) अपशिष्ट प्रबंधन नीति का निर्माण और कार्यान्वयन, तथा अपने अधिकार क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन और प्रसंस्कृत अपशिष्ट के उपयोग के लिए निर्देश जारी करना, जो इन नियमों के अनुरूप हो;
- (ख) इन नियमों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर स्थानीय या क्षेत्रीय या क्लस्टर आधार पर मध्यवर्ती अपिशष्ट भंडारण सुविधाओं और प्रसंस्करण स्थलों की पहचान करने और उन्हें स्थापित करने में स्थानीय प्राधिकारियों को सहायता प्रदान करना तथा इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- (ग) अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले विभागों, संस्थानों और संगठनों को निविदा दस्तावेजों, रुचि की अभिव्यक्ति, प्रस्ताव के लिए अनुरोध आदि की शर्तों को संरेखित करके इन नियमों के सख्त अनुपालन में निर्माण क्रियाकलापों को करने का निर्देश देना;
- (घ) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सहायक और पर्यवेक्षण एजेंसियों को:
 - (1) प्रबंधित किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा का आकलन करना;
 - (2) अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट उपयोग योजनाओं को समय पर अनुमोदित करना;
 - (3) गैर-अनुपालन निर्माण क्रियाकलापों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्राप्त करना; और
 - (4) प्रभावी निगरानी करना:
- (ङ) प्रसंस्कृत अपशिष्ट वस्तुओं और सामग्रियों को राज्य-विशिष्ट 'दरों की अनुसूची' में सम्मिलित करना;
- (च) संनिर्माण एवं भंजन श्रमिकों के रजिस्ट्रीकरण, कौशल विकास, सुरक्षित परिचालन स्थितियों और नियमित स्वास्थ्य निगरानी के लिए उपाय करना ;
- (ত) स्थानीय भवन एवं निर्माण संबंधी उपनियमों को इन नियमों के अनुरूप बनाना।
- (2) स्थानीय या विकास प्राधिकरण, जैसा उपयुक्त हो, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा-
 - (क) इन नियमों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना;
 - (ख) उल्लंघन और गैर-अनुपालन के मामलों को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति को संदर्भित करना;
 - (ग) अपशिष्ट प्रबंधन एवं अपशिष्ट उपयोग योजनाओं को ऑनलाइन मोड में समय पर अनुमोदन प्रदान करेगा ;
 - (घ) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व तथा अपशिष्ट उपयोग ढांचे के अनुपालन के लिए निविदाओं, रुचि की अभिव्यक्ति, प्रस्तावों के लिए अनुरोध, कार्य आदेश आदि में अनिवार्य शर्तें रखना ;
 - (ङ) इन नियमों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर छेत्राधिकार या क्लस्टर या क्षेत्रीय आधार पर अपने अधिकार क्षेत्र में प्रसंस्करण सुविधा या मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा या दोनों की स्थापना करना;
 - (च) स्त्रोत से अपशिष्ट संग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए संग्रहण बिन्दु स्थापित करना तथा रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रक तक अपशिष्ट का परिवहन सुनिश्चित करना तथा इसके लिए शुल्क वसूलना;
 - (छ) रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को अपशिष्ट के परिवहन और भंडारण की सुविधा प्रदान करेगा, ताकि स्व-स्थाने मोड या प्रसंस्करण सुविधा के माध्यम से उसका पुनर्चक्रण संभव हो सके;
 - (ज) पारंपरिक या परित्यक्त अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उपाय करेगा;
 - (झ) प्रसंस्करण सुविधा से अपशिष्ट के उपयोग के लिए यदि आवश्यक हुआ तो एक ऑफटेक योजना को कार्यान्वित करना ;
 - (ञ) रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं और अन्य पणधारियों से जानकारी मांगना;
 - (ट) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- (3) राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी-
 - (क) इन नियमों का प्रवर्तन;

- (ख) इन नियमों के तहत अनिवार्य रूप से सड़क निर्माण में अपशिष्ट के उपयोग ढांचे का कार्यान्वयन करेगा;
- (ग) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व और अपशिष्ट के उपयोग के ढांचे के अनुपालन का अनुश्रवण करेगा;
- (घ) इन नियमों के प्रभावी और सुचारू कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लोक निर्माण विभाग और जिला प्राधिकरणों के साथ समन्वय करना;
- (ङ) अपने अधिकार क्षेत्र में पारंपरिक अपशिष्ट सहित अपशिष्ट की सूची बनाना;
- (च) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार, पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने सिहत इन नियमों के उल्लंघन और गैर-अनुपालन के सभी मामलों पर कार्रवाई करना;
- (छ) नई सुविधाओं की आवश्यकता पर निर्णय लेने के लिए अंतर विश्लेषण अर्थात उत्पन्न अपशिष्ट बनाम उपलब्ध प्रसंस्करण क्षमता का आकलन करना;
- (ज) अपशिष्ट प्रबंधन, संधारणीय निर्माण दृष्टिकोण के उपयोग और अपनाने पर हितधारकों के प्रशिक्षण के माध्यम से व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम चलाना;
- (झ) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उसके द्वारा निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

अध्याय 5

अपशिष्ट भंडारण और प्रसंस्करण अपेक्षाएं

- 17. अपशिष्ट और संसाधित अपशिष्ट के भंडारण की प्रक्रिया।- (1) स्थानीय प्राधिकरण स्रोत से प्रसंस्करण सुविधा या मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा तक अपशिष्ट के संग्रहण के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में संग्रहण बिंदू स्थापित करेगा।
- (2) स्थानीय प्राधिकरण निम्नलिखित मामलों में मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा स्थापित करेगा, अर्थात्:-
 - (i) क्षेत्राधिकार में कार्यात्मक प्रसंस्करण सुविधा का न होना; और
 - (ii) कार्यात्मक प्रसंस्करण सुविधा के साथ भंडारण स्थान के प्रतिबंध ।
- (3) प्रसंस्करण सुविधा के साथ भंडारण स्थान की कमी के कारण प्रदान किए गए अपशिष्ट के मध्यवर्ती भंडारण को एक सौ बीस दिनों की अविध के लिए अनुमित दी जाएगी, जिसे कार्यान्वयन अभिकरण के पूर्व अनुमोदन से एक सौ अस्सी दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
- (4) प्रत्येक प्रसंस्करण सुविधा और मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा को अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन के लिए केंद्रीय बोर्ड द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
- (5) प्रसंस्करण सुविधा और मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधाओं द्वारा लोक न्यूसेंस से बचने, वायु और जल प्रदूषण को रोकने तथा अवैज्ञानिक अपशिष्ट के निपटान को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।

अध्याय- 6

पर्यावरणीय प्रतिकर

18. पर्यावरण प्रतिकर. -

- (1) जहां कोई उत्पादक, मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा का संचालक, पुनर्चक्रणकर्ता पुनर्चक्रक, संनिर्माण और पुनर्निर्माण परियोजनाओं का अधिभोगी या कोई अन्य इकाई, पर्यावरणीय दृष्टि से उचित तरीके से संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट के निपटान और पुनर्चक्रण से संबंधित उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहता है, जिसके अंतर्गत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य, इन नियमों के अंतर्गत अपशिष्ट के उपयोग के लक्ष्य भी सम्मिलित है, जिससे पर्यावरण या लोक स्वास्थ्य को हानि, क्षति या चोट पहुंचती है, तो वह पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दायी होगा जो इस नियम के अंतर्गत ऐसी हानि, क्षति या चोट के समान हो सकेगी।
- (2) इस मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना इस नियम के अंतर्गत कोई पर्यावरणीय प्रतिकर नहीं लगाया जाएगा।
- (3) केन्द्रीय बोर्ड इन नियमों के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर सकेगा।

- (4) पर्यावरणीय प्रतिकर का भुगतान उत्पादक को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगा और किसी विशेष वर्ष के लिए अधूरे विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जाएगा और इसी प्रकार तीन वर्ष तक की अविध के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, जहां उत्पादक दायित्व का अनुपालन करता है, उसके द्वारा भुगतान की गई पर्यावरणीय प्रतिकर की राशि उसे वापस की जा सकेगी, यदि दायित्व का अनुपालन किया जाता है-
 - (1) एक वर्ष के भीतर, 85% पर्यावरण क्षतिपूर्ति;
 - (2) दो वर्षों के भीतर, 60% पर्यावरण क्षतिपूर्ति;
 - (3) तीन वर्षों के भीतर, पर्यावरण क्षतिपूर्ति का 30%; तथा
 - (4) तीन वर्ष के बाद उत्पादक को कोई पर्यावरणीय प्रतिकर वापस नहीं किया जाएगा।
- (5) यदि कोई उत्पादक कोई गलत सूचना प्रस्तुत करता है जिसके परिणामस्वरूप विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र अधिक उत्पन्न हो जाता है, तो इन नियमों के अधीन उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकेगा और यदि कोई पर्यावरणीय प्रतिकर अधिरोपित किया गया है, तो उसे किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।
- (6) यदि उत्पादक उपनियम (5) के अधीन तीन बार गलत सूचना देने का दोषी पाया जाता है तो उसका रजिस्ट्रीकरण स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।
- (7) इस नियम के अंतर्गत पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में एकत्रित धनराशि को सीपीसीबी द्वारा एक पृथक खाते में रखा जाएगा तथा इसका उपयोग केवल एकत्रित न किए गए, विरासत में मिले, अलग-थलग अपशिष्ट तथा ऐसे अपशिष्ट जिसके संबंध में पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित है, के संग्रहण और पुनर्चक्रण, अनुसंधान और विकास, पुनर्चक्रको को प्रोत्साहित करने, अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता तथा समिति द्वारा निर्धारित अन्य शीर्षों पर किया जाएगा।
- (8) निधियों के उपयोग के तौर-तरीके और शीर्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदन से संचालन विषय निर्वाचन समिति द्वारा तय किए जाएंगे।

अध्याय -7

मिश्रित

- 19. रिपोर्टिंग और सूचना साझा करना.- (1) स्थानीय प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके अधिकार क्षेत्र में इन नियमों के कार्यान्वयन की स्थिति इंगित की जाएगी।
- (2) 30 मई तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केन्द्रीय बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इन नियमों के कार्यान्वयन की स्थिति इंगित की जाएगी।
- (3) केन्द्रीय बोर्ड, राज्य बोर्डों से प्राप्त रिपोर्टों की जांच और विश्लेषण करेगा तथा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान देश में इन नियमों के कार्यान्वयन की स्थिति इंगित की जाएगी।
- (4) इन नियमों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत इकाइयां प्रत्येक वर्ष 15 मई तक पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपशिष्ट की प्राप्ति, भंडारण, पुनर्चक्रण और प्रेषण पर आंकड़ों के संकलन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना प्रस्तुत करेंगी।
- **20. दुर्घटना की सूचना देना.-** जहां अपिशष्ट के संग्रहण, परिवहन, भंडारण या प्रसंस्करण के दौरान कोई दुर्घटना घटित होती है, वहां इकाई का प्रबंधक या प्रभारी घटना के बारे में तुरंत या 24 घंटे के भीतर दूरभाष और ई-मेल के माध्यम से राज्य बोर्ड को सूचित करेगा।
- 21. सत्यापन और लेखा परीक्षा केंद्रीय बोर्ड स्वयं या किसी नामित अभिकरण के माध्यम से, निरीक्षण और आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से, जैसा उचित समझें, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, अपशिष्ट के उपयोग और इन नियमों के अन्य उपबंधों पर संस्थाओं के अनुपालन का आकलन करेगा और इन नियमों के नियमों के तहत उल्लंघन के विरूद्ध कार्रवाई करेगा।

- **22. समिति.-** (1) इन नियमों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक विषय निर्वाचन समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अर्थात्: -
 - (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष-अध्यक्ष;
 - (ख) केन्द्रीय मंत्रालय मैं प्रत्येक से एक प्रतिनिधि-
 - (1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन;
 - (2) आवास और शहरी मामले;
 - (3) सड़क परिवहन और राजमार्ग;
 - (4) पंचायती राज;
 - (5) ग्रामीण विकास;
 - (6) जल शक्ति:
 - (ग) नीति आयोग का एक प्रतिनिधि।
 - (घ) भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय सड़क कांग्रेस, राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भवन सामग्री परिषद में प्रत्येक से एक प्रतिनिधि;
 - (ड़) भू संपदा सेक्टर,-अवसंरचना सेक्टर और पुनर्चक्रण उद्योग में प्रत्येक से दो प्रतिनिधि;
 - (च) तीन राज्य सरकारों से चक्रानुक्रम आधार पर प्रत्येक का एक प्रतिनिधि;
 - (छ) तीन राज्य बोर्डों से चक्रानुक्रम आधार पर प्रत्येक का एक प्रतिनिधि;
 - (ज) सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य संयोजक।
- (2) विषय निर्वाचन समिति ऐसे सदस्यों और विशेष आमंत्रितों को सहयोजित कर सकेगी, जिन्हें समिति के कार्य संचालन के लिए उपयुक्त समझा जाए।
- (3) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में इन नियमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए एक अनुश्रवण समिति होगी जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-
 - (क) पर्यावरण से संबंधित राज्य सरकार के विभाग के प्रभारी सचिव-अध्यक्ष;
 - (ख) राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों से एक प्रतिनिधि-
 - (1) शहरी विकास और नगर प्रशासन;
 - (2) सड़क एवं परिवहन;
 - (3) ग्रामीण विकास और पंचायत;
 - (4) भूमि प्रबंधन और राजस्व;
 - (ग) भू संपदा सेक्टर,अवसंरचना सेक्टर और पुनर्चक्रण उद्योग से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि ;
 - (घ) राज्य के तीन शहरी स्थानीय निकायों से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि;
- (4) अनुश्रवण समिति ऐसे सदस्यों और विशेष आमंत्रित व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगी, जिन्हें समिति के कार्य संचालन के लिए उपयुक्त समझा जाए।
- (5) विषय निर्वाचन समितियां उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय लेंगी तथा किसी भी मुद्दे को समुचित निर्णय लेने के लिए केन्द्रीय सरकार को संदर्भित कर सकेंगी।
- (6) विषय निर्वाचन समिति प्रौद्योगिकीय प्रगति और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए पुनर्चक्रण के लक्ष्यों, भार और तरीके की समीक्षा करेगी और इन नियमों में संशोधन के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिशें करेगी।
- (7) विषय निर्वाचन समिति इन नियमों के कार्यान्वयन की समग्र अनुश्रवण और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसे उपाय करेगी, जिन्हें वह इन नियमों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

- (8) विषय निर्वाचन समिति और अनुश्रवण समिति के सदस्यों को समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते दिए जा सकेंगे, जो क्रमशः केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएंगे।
- 23. अपील.- (1) इन नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या संस्था, उसे आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अविध के भीतर, पर्यावरण से संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभाग के प्रभारी सचिव को अपील कर सकेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन पर्यावरणीय प्रतिकर अधिरोपित करने से संबंधित निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति या इकाई, निर्णय की सूचना मिलने की तारीख से तीस दिन की अविध के भीतर भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अपर सचिव को पर्यावरणीय प्रतिकर की राशि का बीस प्रतिशत जमा करने का प्रमाण सिहत द्वितीय अपील कर सकेगा, जो अपील में निर्णय अपीलकर्ता के पक्ष में आने की स्थिति में उसे वापस कर दिया जाएगा।
- (3) उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील पर विचार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाने पर कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से समय पर अपील दायर करने से रोका गया था।
- (4) अपील का निपटान अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में उसकी प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।
- 24. इन नियमों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई.- कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।
- 25. किठनाइयों को दूर करने की शक्ति. संचालन समिति इन विनियमों के सुचारू कार्यान्वयन में किठनाई उत्पन्न करने वाले मुद्दों की जांच करेगी तथा ऐसी किसी किठनाई को दूर करने की शक्ति रखेगी तथा ऐसे किसी मुद्दे को, जैसा उचित समझे, केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ भेज सकेगी।

पहली अनुसूची [नियम 3(1) (म) और 4(2) देखें]

अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य

क्र. सं.	वर्ष	पुन: निर्माण परियोजनाएं*	भंजन परियोजनाएं*
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2025-26	प्रथम वर्ष में उत्पन्न अपशिष्ट का 25%	प्रथम वर्ष में उत्पन्न अपशिष्ट का 25%
2.	2026-27	प्रथम वर्ष में उत्पन्न अपशिष्ट का 50%	प्रथम वर्ष में उत्पन्न अपशिष्ट का 50%
3.	2027-28	प्रथम वर्ष में उत्पन्न अपशिष्ट का 75%	प्रथम वर्ष में उत्पन्न अपशिष्ट का 75%
4.	2028-29 के पश्चात	प्रथम वर्ष में उत्पन्न अपशिष्ट का 100%	प्रथम वर्ष में उत्पन्न अपशिष्ट का 100%

^{*}इन नियमों के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकित पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट का प्रतिशत ।

दूसरी अनुसूची

[नियम 3(1) (म) और 8(1) देखें]

निर्माण एवं पुनर्निर्माण में अपशिष्ट के उपयोग के लिए न्यूनतम लक्ष्य

क्रियाकलाप

क्र. सं.	वर्ष	अपशिष्ट के उपयोग के लिए लक्ष्य (आवश्यक कुल निर्माण सामग्री का %)
(1)	(2)	(3)
1	2026-27	5%
2	2027-28	10%
3	2028-29	15%
4	2029-30	20%
5	2030-31 और उसके पश्चात	25%

- नोट: 1. किसी परियोजना का लक्ष्य अपशिष्ट के उपयोग की योजना के अनुमोदन के वर्ष के अनुसार तय किया जाएगा।
- 2. संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट के प्रत्यक्ष उत्पाद हैं (i) महीन समष्टि, (ii) पुनर्चिक्रित कंक्रीट समष्टि (आकार 5-10 मिमी, 10-20 मिमी, 20-40 मिमी या यथा अपेक्षित); (iii) पुनर्चिक्रित समष्टि (5-10 मिमी, 10-20 मिमी, 20-40 मिमी या यथा अपेक्षित), और (iv) निर्मित मिट्टी;
- 3. पुनर्नवीनीकृत संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट के उपयोग से निर्मित गौड़ उत्पाद हैं (i) ईंटें, ब्लॉक, टाइलें, खोखली ईंटें, दीवार टाइलें; (ii) पेवर्स, कर्ब स्टोन; (iii) पार्क बेंच, नाली कवर, प्लांटर्स, कंपाउंड वॉल, बाड़ पोस्ट, ट्री गार्ड, ट्री पिट कवर, मैनहोल कवर, भूमिगत केबल कवर, प्री-कास्ट बाउंड्री वॉल पैनल और पोल, और ऐसी अन्य वस्तुएं।
- 4. अपशिष्ट का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

तीसरी अनुसूची

[नियम 3(1)(म) और 8(1) देखें]

सड़क निर्माण में अपशिष्ट के उपयोग के लिए न्यूनतम लक्ष्य

क्र. सं.	वर्ष	अपशिष्ट के उपयोग के लक्ष्य (सड़क निर्माण हेतु अपेक्षित कुल सामग्री का %)
(1)	(2)	(3)
1.	2026-27	5%
2.	2027-28	5%
3.	2028-29	10%
4.	2029-30	10%
5.	2030-31 और उसके -पश्चात	15%

- नोट: 1. सड़क निर्माण परियोजना का लक्ष्य सड़क निर्माण परियोजना के प्रारंभ होने के वर्ष के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा।
 - 2. आईआरसी: 121-2017 के अनुसार, संनिर्माण और भंजन अपशिष्ट के व्युत्पन्न पुनर्चिक्रित समष्टि और पुनर्चिक्रित कंक्रीट समष्टि, प्रसंस्करण के पश्चात, सड़क निर्माण अनुप्रयोगों में उपयोग किए जा सकते हैं जैसे: (i) तटबंध, मिट्टी के तटबंधों सहित (भराव सामग्री के रूप में); (ii) अनुकूल फुटपाथ (दानेदार उप-आधार, सीमेंट स्थिर आधार, उप-आधार पाठ्यक्रम के रूप में); (iii) कंक्रीट फुटपाथ (शुष्क पतला कंक्रीट, रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट, सादे सीमेंट कंक्रीट में; और (iv) फ़र्श ब्लॉक और कर्ब पत्थर।
 - 3. समष्टियों के उत्पादन के दौरान कुचलने के परिणामस्वरूप उत्पन्न चूर्णित निर्माण और भंजीत अपशिष्ट को, ग्रेडेशन, शक्ति, जल अवशोषण, सुदृढ़ता आदि जैसी तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सीमेंट स्थिरीकरण के बाद उप-आधार सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
 - 4. अपिशष्ट का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा तािक सड़क निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विशेष मामलों में यदि किसी सड़क निर्माण परियोजना में अपिशष्ट का उपयोग करना संभव नहीं है तो इसके लिए संबंधित प्राधिकरण से छूट प्राप्त की जा सकती है, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति से छूट प्राप्त की जा सकती है।

[फा. सं. एचएसएम-12/152/2022-एचएसएम] वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2025

G.S.R. 219(E).—WHEREAS the Central Government made the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 *vide* its notification number G.S.R. 445(E), dated 29th March, 2016 to provide for the environmentally sound management of construction and demolition waste in the country, including its segregation, collection, recycling, treatment and disposal, and to discourage unscientific disposal, promote scientific waste management, prevent loss of recyclable value, and address pollution related issues emanating from dumping of such waste;

AND WHEREAS Central Government has considered it expedient and necessary to make comprehensive revision and strengthening of the said rules by incorporating specific measures for waste management, waste utilization and to deal with its non-compliance, and to align with circular economy and resource efficiency approaches by introducing extended producer responsibility, environmental compensation, and centralised interface based online monitoring and compliance assessment;

AND WHEREAS a draft Construction and Demolition Waste Management Rules, 2024 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number G.S.R. 458(E), dated the 29th July, 2024, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of Sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS the objective and suggestions received within the stipulated period were duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8, and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, and in supersession of the Construction and Demolition waste management Rules, 2016, except as respect things done or omitted to be done before such supersessions, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

- **1. Short title and commencement**. (1) These rules may be called the Environment (Construction and Demolition) Waste Management Rules, 2025.
- (2) They shall come into force with effect from the 1st April, 2026.
- **2. Application**. (1) These rules shall apply to all activities of construction, demolition, remodelling, renovation and repair of any structure.
- (2) These rules shall not apply to the waste categories or streams covered under
 - (a) the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and the rules made thereunder;
 - (b) the defence projects, and other projects of a strategic nature;
 - (c) the Waste generated due to natural disasters or by the act of war; and
 - (d) Waste covered in any other sector specific waste management rules.
- 3. **Definitions.** -(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

- (b) "authorised agency" means an agency authorised by the local authority either for collection or transportation or both of construction and demolition waste;
- (c) "built up area" will shall have the same meaning as used for the purpose of Environmental Impact Assessment Notification, 2006;
- (d) "Central Board" means the Central Pollution Control Board established under section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);
- (e) "collection points" means designated places in the jurisdiction of the local authority where waste generators, other than producers, are required to deposit their construction and demolition waste to facilitate its management in an environmentally sound manner;
- (f) "construction" means the process of erecting, altering, repairing, renovating or remodeling of a structure, building, infrastructure and utility projects; like, residential and office complexes, roads, highways, industrial complexes, railways, airports, ports, harbors, laying of pipeline for water, wastewater, gas, crude oil, optical fiber cable, electric cable, telecom cable, and such other projects;
- (g) "construction and demolition waste" means the waste generated due to construction, demolition, remodeling, renovation, repair, and maintenance activities, and comprises of soil, sand and gravel, bricks and masonry, concrete, metal, wood, plastic, ceramic and such other items;
- (h) "contractor" means a person engaged to undertake construction or demolition, or to provide services to facilitate collection, storage, and dispatch of waste to a processing facility or intermediate waste storage facility or collection points, on commercial basis;
- (i) "demolition" means dismantling, razing, destroying or wrecking of a building or structure or any part thereof by any means;
- (j) "development authority" means an agency that implements town planning schemes, area development plans, building laws, and responsible for development of an urban area, regulates incidental civil operations like construction, engineering, demolition, including utility services and amenities;
- (k) "extended producer responsibility" means the responsibility of a producer to manage construction and demolition waste and to meet recycling targets as per First Schedule to ensure its environmentally sound management;
- (1) "guidelines" means a document prepared and issued by the Central Pollution Control Board elaborating minimum requirements, specific measures and procedures for achieving environmentally sound management of construction and demolition waste including its handling, collection, transportation, storage and processing;
- (m) "intermediate waste storage facility" means a place in the jurisdiction of the local authority, operated by the authority or an authorised operator, where construction and demolition waste can be stored to facilitate its management in an environmentally sound manner;
- (n) "legacy waste" means the orphan and untreated construction and demolition waste lying in the jurisdiction of the local authority on the date of commencement of these rules;
- (o) "local authority" means an agency entrusted to discharge functions related to sanitation, covering management of construction and demolition waste, and includes a municipality, panchayat, cantonment board, and notified area committee;
- (p) "online portal" means a centralised online portal establish by the Central Board for the purposes of implementation and monitoring of extended producer responsibility targets and utilisation of waste, and to act as single point data repository on construction and demolition waste;
- (q) "producer" means a waste generator, who is occupier or in charge of a building or building complex project having a built-up area of 20000 square meters and above;
- (r) "re-construction" means all construction activities covering erection, remodeling, repair and renovation, preceded by demolition of an existing structure;

- (s) "recycler" means an entity registered on the portal, and engaged in the recovery of reusable material from construction and demolition waste through on-site or offsite processing for manufacturing of value added products or otherwise;
- (t) "processing facility" means a designated establishment equipped with the requisite infrastructure to process construction and demolition waste operated by the recycler, to carry out processes of reception, storage, segregation, treatment, or manufacturing of value-added articles or materials out of construction and demolition waste;
- (u) "schedule" means a schedule annexed to these rules;
- (v) "service provider" means an entity or authority providing civic and utility service like water supply, gas pipeline, optical fiber cable network, sewerage, electricity, telephone, drainage, etc.;
- (w) "standard operating procedure" means a document prepared and issued by the Central Pollution Control Board containing a set of instructions to manage construction and demolition waste in an environmentally sound manner elaborating standardized and minimum requirements of equipment, processes, etc.;
- (x) "State Board" means the State Pollution Control Board established under section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and includes the Union territory Pollution Control Committee;
- (y) "target" means a tangible number set forth as mandatory responsibility for entities under the extended producer responsibility and for utilisation of waste, corresponding to the quantum of construction and demolition waste generated and the extent of construction materials to be used;
- (z) "waste" means the construction and demolition waste for the purpose of these rules, unless specified otherwise;
- (aa) "waste generator" means an occupier of the project having full control over the construction or reconstruction or demolition or removation or remodeling activity resulting in the generation of waste;
- (ab) "waste management plan" means a document prepared by producers, duly approved by local authority, for the management of construction and demolition waste to meet extended producer responsibility targets under First Schedule I;
- (ac) "waste utilisation plan" means a document prepared by occupiers of construction and re-construction projects, duly approved by the local authority, for the utilisation of processed construction and demolition waste to meet waste utilisation targets under the Second Schedule or the Third Schedule.
- (2) The words and expressions used in these rules, but not defined, shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

CHAPTER-II

MANAGEMENT OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE

- **4. Management of Construction and Demolition Waste.** (1) every producer shall be responsible for disposal and management of the construction and demolition waste generated by him in an environmentally sound manner in accordance with these rules. He shall also meet the extended producer responsibility targets set out in the First Schedule.
- (2) The extended producer responsibility framework shall be implemented and monitored through an online portal, and the following entities shall register on the portal, namely: -
 - (a) Producer;
 - (b) Operator of Intermediate Waste Storage Facility;
 - (c) Recycler; and
 - (d) Collection point established by local or development authority.

- (3) An entity falling in more than one categories shall register in those categories separately and comply with the provisions of these rules accordingly.
- (4) One receipt of application for registration on the online portal, the Central Board shall issue a certificate of registration within fifteen days of the date of receipt of such application.
- (5) No entity referred to in sub-rule (2) shall carry out business without registration under these rules.
- (6) The entities registered under sub-rule (2) shall not deal with any entity not registered under these rules.
- (7) Where any registered entity furnishes false information or willfully conceals information for registration or return or report or information required to be provided or furnished under this these chapter rules or in case of any irregularity, the registration of such entity may be revoked by the Central Pollution Control Board for a period up to five years after giving an opportunity to be heard and in addition, additionally, environmental compensation charges may also be levied as per rule 18.
- (8) The Central Board may charge such fees as may be determined by it in consultation with the Central Government for registration of entities and maintenance of the online portal under these rules.
- (9) The corpus generated as per sub-rule (8) above may be shared between the Central Pollution Control Board and the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee in the ratio of twenty to eighty.
- **5.** Compliance of extended producer responsibility targets. -(1) The local authority or development authority, shall ensure compliance with the extended producer responsibility targets under these rules.
- (2) The extended producer responsibility targets in construction, re-construction or demolition project, shall be regulated through a waste management plan and the local authority and development authority shall include the requirement of recycling of waste in its approval granted or to be granted in respect of all construction projects.
- (3) Every producer shall prepare a waste management plan in respect of each project which shall assess the quantum of waste from all streams in a construction, re-construction and demolition project and submit it to the local authority for approval.
- (4) The debris part of the waste, such as, cement concrete, bricks, cement plaster, stone, rubble, tiles ceramics, etc. shall be accounted for assessing the extended producer responsibility targets.
- (5) The materials in the construction and demolition waste usable or resalable, such as, iron, wood, plastic, metal and glass shall not be considered for assessing the extended producer responsibility targets and will be dealt in accordance with prevalent rules and regulations.
- (6) Until a recycling facility becomes operational, the local authority or development authority, shall establish and operate an intermediate waste storage facility itself or through an authorised operator and register it on the online portal.
- (7) The producer shall deposit its entire waste to the processing facility directly, and in case of absence of a functional processing facility, the entire waste generated shall be deposited at the intermediate waste storage facility.
- (8) In case the producer is undertaking in-situ processing, it shall deposit the entire leftover or unprocessed waste to the processing facility.
- (9) The registered entities shall be responsible for entering data on waste generation, handling, storage, recycling and value-added products in the online portal, which shall be verified by the implementing agency, to match the material balance of the waste generated in a financial year.
- (10) A producer shall meet their extended producer responsibility target through purchase of extended producer responsibility certificates from a registered recyclers irrespective of mode of deposition of waste;
- (11) The details provided by producers, recyclers and intermediate waste storage facility operators shall be cross verified through the online portal, and in case of any mismatch, the lowest figure shall be considered for fulfilment of the targets by the producer;
- (12) The extended producer responsibility certificates shall be subject to audit by the Central Board, or any other agencies authorised by it.

- (13) The income from the transaction of extended producer responsibility certificates shall be shared equally between the implementing agency and the recycler.
- (14) The implementing agency shall refer the cases of violation and non-compliance to the concerned State or Union Territory Pollution Control Board or Committee for taking enforcement action, including levy of environmental compensation.
- **6. Generation of extended producer responsibility certificate.** (1) The Central Pollution Control Board shall generate extended producer responsibility certificate through the online portal in favour of a registered recycler, calculated as per the Table given below–

1	· 🙃	hI	Δ
	4	.,,	

S. No.	Mode of recycling.	Weightage allocated to the processing mode (W _P).
(1)	(2)	(3)
1.	In –situ recycling	1.2
2.	Off site recycling	1

- (2) For the purpose of the Table referred to in sub-rule (1)
 - (i) The quantity of waste eligible for generation of extended producer responsibility certificate shall be calculated by the following formula, namely:-

$$*Q_{EPR} = Q_P \times C_F \times W_P$$

*the Q_{EPR} is the quantity eligible for generation of the certificate, Q_P is the quantity of the processed product and C_F is the conversion factor (quantity of waste required for production of one unit of output) and W_P is the Weightage allocated to the processing mode

- (ii) Conversion factor C_F for each end product shall be determined by the Central Board, in consultation with recyclers, based on the technology used and other factors;
- (iii) In case of multiple end products of recycling, the conversion factor for the generation of extended producer responsibility certificate shall be calculated by such formula as may be determined by the Central Board with the prior approval of the Steering Committee; and
- (iv) The weightage W_P shall be reviewed by the Central Board from time to time in view of the technological advancements, availability of material and other factors.

Example:

If 100 Tonnes of processed waste product is produced, and the end-product conversion factor is 0.8 then, the eligible EPR certificate for such conversion shall be as follows:

In-situ processing - $Q_{EPR} = 100 \times 0.8 \times 1.2 = 96$ Tonnes; Off-site processing - $Q_{EPR} = 100 \times 0.8 \times 1 = 80$ Tonnes;

- (3) The extended producer responsibility certificate shall be valid for three years from the end of the financial year in which it is generated, and after the expiry of said period of three years the certificate shall automatically cease to exist.
- (4) Each extended producer responsibility certificate shall be marked with a unique number indicating its year of generation, recycler code, end-product code, and a distinct code, and shall be issued in weight denominations of 100, 200, 500 and 1000 Tonnes.
- 7. Transaction of extended producer responsibility certificate. -(1) A producer may purchase extended producer responsibility certificates limited to its extended producer responsibility liability of the current year plus any leftover liability of preceding years plus five per cent of the current year's liability.
- (2) As soon as the producer purchases the extended producer responsibility certificate, it will be automatically adjusted against its liability, wherein priority in adjustment shall be given to past liability and the extended producer responsibility certificate so adjusted shall be automatically extinguished and cancelled.
- (3) The availability, requirement and other details of the extended producer responsibility certificate for every producer and recycler will be available on the online portal.
- (4) All the transactions related to the extended producer responsibility shall be recorded and submitted by the producers and recycler on the online portal.
- (5) The Central Government may, by an order establish one or more trading platforms for the exchange or transfer of extended producer responsibility certificates in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board with the approval of the Central Government.
- (6) The operation of the platform established under sub-rule (5) shall be operated and regulated in accordance with guidelines made by the Central Government on the recommendation of the Central Pollution Control Board in accordance with these rules.
- (7) The Central Board shall fix the highest and lowest price for an exchange of extended producer responsibility certificates which shall be equal to one hundred percent and thirty per cent, respectively, of the environmental compensation for non-fulfilment of extended producer responsibility targets.

CHAPTER-III

UTILISATION OF PROCESSED WASTE

- **8. Utilisation of processed waste and monitoring.** (1) The processed waste shall be utilised in all construction activities having built-up area of 20000 square meters or above, and road construction as per the targets set out in the Second Schedule and Third Schedule, respectively.
- (2) The waste utilisation framework shall be implemented through the online portal with mandatory registration of the entities as required in rule 4.
- (3) The local authority and development authority shall monitor utilisation of waste targets for construction projects through the online portal in their respective jurisdiction.
- (4) The Central Board shall monitor the utilisation of the waste targets through the portal in road construction activities covering all national highways and roads under the Central Government and any of its agency.
- (5) The State Board shall monitor the utilisation of waste targets in road construction activities covering highways and roads falling under the jurisdiction of the State Government or Union territory Administration or District Authorities, other than the roads mentioned in sub rule(4).
- (6) The utilisation of waste in construction activities and road construction shall be regulated by an approved waste utilisation plan and local authority and development authority shall include the requirement of utilization of waste in its approval granted or to be granted in respect of all existing constructions projects.

- (7) The assessment of quantity of processed waste for use under this rule shall be calculated as a percentage of total virgin or fresh construction material requirement by weight or volume, except wood, iron, metal, plastic, glass, and such other materials.
- (8) Only debris derived processed waste such as, waste from cement concrete, bricks, cement plaster, stone, rubble, tiles, etc. shall be considered for assessing compliance to the obligated targets, and the utilisation of other resalable or reusable waste, such as, iron, wood, plastic, metal and glass shall not be considered.
- (9) The recycler shall ensure that the product complies with the quality as per the standards, and technical specifications, if any, set out under any law for the time being in force.
- (10) A person carrying out the construction activity and road construction shall fulfil the utilisation of waste target under this rule, and in doing so, it may seek support from the service provider, contractor, authorised agency, recycler, or other agencies approved by the local authority or the development authority for this purpose.

CHAPTER-IV

RESPONSIBILITY OF STAKEHOLDERS

- 9. Responsibilities of the Waste Generator and producer. (1) the waste generators shall take following measures for waste management, namely:-
 - (a) collect and segregate waste to facilitate reuse and recycling into separate material streams;
 - (b) store the waste and take steps for its recycling, either in-situ processing or off-site processing;
 - (c) transport entire waste to collection point or intermediate waste storage facility or hand over waste to an authorized agency or recycler, as appropriate;
 - (d) take steps to prevent air pollution, littering of waste and avoid public nuisance during collection, segregation, storage of waste;
 - (e) comply with the orders and directions of the local authority, development authority and other implementing and enforcement agencies.
- (2) The producer shall follow the standard operating procedures for environmentally sound management of waste, as specified by the Central Board, State Board, local authority and development authority.
- (3) The producer shall undertake demolition in compliance with 'IS 4130: Safety code for demolition of buildings' or any other standard operating procedures and measures for demolition as specified by the local authority and development authority.
- (4) The producer shall prepare an integrated waste management plan, with approval of local authority and development authority of all construction activities in a any jurisdictional area.
- (5) The producer shall inform the local concerned before undertaking any demolition activity.
- 10. Responsibilities of contractors, service providers and authorised agencies. The contractor, service provider and authorised agency, shall -
- (a) assist the waste generator in collection of waste from source to collection points or intermediate waste storage facility or processing facility for recycling;
- (b) assist the waste generator in meeting the extended producer responsibility targets and utilisation of waste and providing services in strict compliance of these rules;
- (c) coordinate with local authorities, waste generators, recyclers and operators of intermediate waste storage facilities to facilitate collection, storage, and dispatch of waste to processing facilities or intermediate waste storage facilities, and sharing such information to the authorities concerned;
- (d) implement sustainable construction practices, including guidance on 'IS 15883: 2021 Guidelines for Construction Project Management Part 11 Sustainability Management';

- (e) establish adequate infrastructure for the management of waste, impart training and create awareness among its employees and workers on environmental sound management of waste and utilisation of processed waste;
- (f) Follow standard operating procedures, and other measures laid down by the Central Board or State Boards or other authorities concerned for environmentally sound management of construction and demolition waste;
- 11. Responsibilities of operators of intermediate waste storage facility or collection point. The operator or intermediate waste storage facility and collection point shall -
- (a) coordinate with the local authority, waste generators, service providers and authorised agencies to facilitate receipt, storage, and dispatch of waste at intermediate waste storage facilities, and sharing such information to implementing and enforcement agencies;
- (b) obtain prior permission from local authority or development authority before disposal of waste in low lying areas and for other purposes, excluding sanitary landfill facility;
- (c) follow standard operating procedures, and measures laid down by the Central Board or State Boards or Pollution Control Committees and implementing agencies;
- (d) furnish information on the online portal for collation of data on receipt, storage, recycling and dispatch of waste during the preceding half year by 15th October and 15th April each year, and file annual returns on the online portal on or before 30th May following the financial year to which that return relates;
- (e) comply with the responsibilities of authorised agency under rule 10, in case, the entity is engaged in the collection and transportation of waste.

12. Responsibilities of Recycler. - The recycler shall -

- (a) coordinate with the local authority, waste generators, service providers, authorised agencies and end-users to facilitate receipt, storage, recycling and dispatch of waste at a processing facility, and sharing such information with implementing and enforcement agencies;
- (b) obtain prior permission from local authority or development authority before disposal of waste in low lying areas and for other purposes, excluding dispatch of recycled material to end-users;
- (c) follow standard operating procedures, and measures for recycling of waste laid down by the Central Board or State;
- (d) comply with the product quality standards and technical specifications in respect of recycled products, or end-user requirements, as may be applicable under any law for the time being in force;
- (e) dispose of rejects or inert material after recycling to the nearest sanitary landfill facility as per the guidelines issued by the Central Board;
- (f) furnish information on the online portal for collation of data on receipt, storage, recycling and dispatch of waste during preceding half year by 15th October and 15th April each year, and file annual return on the portal on or before 30th May following the financial year to which that return relates;
- **13. Responsibilities of Central Government.** (1) All Ministries, Departments, institutes, and organizations falling under the administrative control of the Central Government shall be responsible for undertaking construction activities in compliance with these rules by aligning the conditions of tender documents, expression of interest, request for proposal, etc.
- (2) The Ministry of Housing and Urban Affairs shall undertake the following, namely:-
 - (i) Progressively update the 'schedule of rates' to include processed waste products and articles through the Central Public Works Department;
 - (ii) Sensitise local authorities engaged in Swachha Bharat Mission (Urban) for management of construction and demolition waste;

- (iii) Align the provisions of model building bye-laws relating to the issue of building plan permits, demolition permits, and completion certificate with provisions of these rules;
- (iv) Incorporate reasonable compliance to these rules as a pre-requisite in performance evaluation and rating of local authority under various programmes.
- (3) The Ministry of Road, Transport and Highways shall undertake measures, including encouraging research, to promote utilisation of construction and demolition waste in road construction projects, and develop associated technical specifications and guidance manuals for such usage.
- (4) The Ministry of Rural Development, Ministry of Panchayati Raj and Ministry of Jal Shakti, through the Department of Drinking Water and Sanitation, shall undertake awareness activities and programs to sensitise the population in rural areas for management of construction and demolition waste, and implementation of the provisions of these rules.
- (5) The Ministry of Commerce and Industry shall take measures to facilitate the listing of processed waste articles on Government E-marketplace.
- **14.** Responsibilities of Central Pollution Control Board. The Central Pollution Control Board shall be responsible for-
- (1) Setting up, operation and maintenance of the portal, and monitoring compliance of extended producer responsibility framework;
- (2) Ensuring functionality of the portal within six months from the date of notification of these rules, registration of entities, and implementation of the extended producer responsibility and waste utilisation framework in online manner;
- (3) Monitoring implementation of the waste utilisation framework in road construction, as prescribed under these rules;
- (4) Fulfilling responsibilities assigned under these rules, including issuance of extended producer responsibility certificate;
- (5) Coordination with the agencies to Central and State or Union Territory Government for smooth implementation of these rules;
- (6) Framing and implementing Guidelines and Standard Operating Procedures on the following-
 - (a) 'Implementation of extended producer responsibility framework' covering registration on the portal, approval of waste management plan, extended producer responsibility certificate generation, transfer or exchange of certificates, fulfilment of obligation, returns, etc.;
 - (b) 'Implementation of waste utilisation framework' covering registration of projects, approval of waste utilisation plan, exemption from waste utilisation, fulfilment of obligation, returns, etc.;
 - (c) 'Environmentally sound management of waste' covering collection, storage, transportation, recycling and disposal of waste, and any other aspects.
- (7) Preparing online forms and returns, as may be required for implementation of these rules, to facilitate flow of information from registered entities;
- (8) Enforcement of these rules, and conduct of random checks to assess compliance of the registered entities and for that purpose the Board may take help of the State Government or any other agency;

- (9) Documentation, compilation of data on waste and processed waste, and submission of an annual report to the Central Government:
- (10) Taking action against violation and non-compliance of these rules;
- (11) Conducting training programmes to develop capacity building including the State Pollution Control Board and Urban Local Bodies officials of State Governments;
- (12) Conducting awareness programmes;
- (13) Integration of all stakeholders with the centralised digital system;
- (14) Any other function delegated by the Central Government under this chapter these rules from time to time.
- 15. Responsibilities of Bureau of Indian Standards and Indian Roads Congress. The Bureau of Indian Standards and Indian Roads Congress shall be responsible for the preparation of code of practices and standards for use of recycled materials and products of construction and demolition waste in respect of construction activities and the role of Indian Road Congress shall be specific to the standards and practices pertaining to construction of roads.
- 16. Responsibilities of State Government or Union territory Administration, local authority or development authority, and the State and Union Territory Pollution Control Board or Committee. (1) The Urban Development and Municipal Administration Department of the State or Union territory Administration shall be responsible for-
 - (a) formulation and implementation of waste management policy, and issuance of directives for management of waste and utilisation of processed waste in its jurisdiction, duly aligned with these rules;
 - (b) supporting local authorities in identification and setting up of intermediate waste storage facilities and processing sites on local or regional or cluster basis within a a year of notification of these rules, and monitoring implementation of these rules;
 - (c) directing Department, institutes, and organisations falling under their administrative control to undertake construction activities in strict compliance with these rules by aligning the conditions of tender documents, expression of interest, request for proposal, etc.;
 - (d) supporting and supervising agencies of the State or Union territory to:
 - (i) Assess quantum of waste to be managed;
 - (ii) Approve waste management and waste utilisation plans in a timely manner;
 - (iii) Levy environmental compensation from non-compliant construction activities; and
 - (iv) Undertake effective monitoring;
 - (e) inclusion of processed waste articles and materials in the state-specific 'Schedule of rates';
 - (f) taking measures for registration, skill development, safe operating conditions and routine health monitoring of construction and demolition workers;
 - (g) alignment of local building and construction related by elaws to these rules .;
- (2) The local or development authority, as appropriate, shall be responsible for-
 - (a) monitoring implementation of these rules;
 - (b) referring cases of violation and non-compliance to State or Union Territory Pollution Control Board or Committee;
 - (c) timely grant of approvals to waste management and utilisation plans in online mode;
 - (d) putting mandatory conditions in tenders, expression of interests, requests for proposals, work orders, etc. for compliance of extended producer responsibility and waste utilisation framework;

- (e) establishment of processing facility or intermediate waste storage facilities or both, in their jurisdiction or cluster or regional basis, within a year of notification of these rules;
- (f) setting up collection points to facilitate waste collection from the source and to ensure to transport waste to the registered recycler and collect the charges for the same;
- (g) facilitating registered entities to transport and store waste enabling its recycling through an in-situ mode or through processing facility;
- (h) taking measures for the management of legacy or orphan waste;
- (i) implement an offtake plan, if required, for the utilisation of waste from processing facility;
- (j) seeking information from registered entities and other stakeholders;
- (k) submitting annual report to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, in a format laid down Central Pollution Control Board.
- (3) The State or Union Territory Pollution Control Board or Committee, shall be responsible for-
 - (a) enforcement of these rules;
 - (b) implementation of the waste utilisation framework of waste in road construction, as mandated under these rules;
 - (c) monitor the compliance of extended producer responsibility and waste utilisation framework;
 - (d) coordination with the Central Pollution Control Board, local authority, State or Union Territory, Public Works Department, and District Authorities for effective smooth implementation of these rules;
 - (e) inventorisation of waste, including legacy waste, in its jurisdiction;
 - (f) taking action on all cases of violation and non-compliance of these rules, including levy of environmental compensation, in accordance with guidelines of the Central Pollution Control Board;
 - (g) undertake gap analysis i.e. assessment of waste generated vis-à-vis processing capacity available to decide on the requirement of new facilities;
 - (h) undertake programs to create mass awareness through training of stakeholders on waste management, utilisation and adoption of sustainable construction approaches;
 - (i) submission of annual report to Central Pollution Control Board, in a format laid down by it.

CHAPTER-V

WASTE STORAGE AND PROCESSING REQUIREMENTS

- 17. Procedure for storage of waste and processed waste. -(1) The local authority shall establish collection points in its jurisdiction for collection of waste from source to processing facility or intermediate waste storage facility.
- (2) The local authority shall establish an intermediate waste storage facility in the following cases, namely:-
 - (i) non-existence of a functional processing facility in the jurisdiction; and
 - (ii) storage space constraints with the functional processing facility.

- (3) Intermediate storage of waste provided due to storage space constraints with the processing facility shall be allowed for a duration of one hundred and twenty days, which may be extended up to one hundred and eighty days, with prior approval of the implementing agency.
- (4) Every processing facility and intermediate waste storage facility shall follow the guidelines and standard operating procedures laid down by the Central Board for environmentally sound management of waste.
- (5) Adequate measures shall be taken by processing facility and intermediate waste storage facilities to avoid public nuisance, prevent air and water pollution, and unscientific waste disposal.

CHAPTER-VI

ENVIRONMENTAL COMPENSATION

18. Environment Compensation. -

- (1) Where any producer, operator of intermediate waste storage facility, recycler, occupiers of construction and reconstruction projects or any other entity, fails to comply with the provisions relating to disposal and recycling of construction and demolition waste in an environmentally sound manner, including extender producer responsibility target, utilisation of waste target under these rules, thereby causing loss, damage or injury to environment or public health, it shall be liable to pay environmental compensation which may be equal to such loss, damage or injury under this rule.
- (2) No environmental compensation shall be imposed under this rule without an opportunity of being heard in this matter.
- (3) The Central Board may impose the environmental compensation in accordance with these rules.
- (4) The Payment of environmental compensation shall not absolve the producer from the extended producer responsibility and the unfulfilled extended producer responsibility for a particular year shall be carried forward to the next year and so on for a period up to three years, where producer complies with the obligation, the amount of environmental compensation paid by him may be returned to him, if the obligation is compiled-
 - (1) within one year, 85% of the environment compensation;
 - (2) within two years, 60% of the environment compensation;
 - (3) within three years, 30% of the environment compensation; and
 - (4) after three years no environmental compensation shall be returned to the producer.
- (5) If a producer furnishes any false information resulting in over generation of extended producer responsibility certificates, his registration under these rules shall be liable to be cancelled and in case any environmental compensation has been imposed, it shall not be returned in any case.
- (6) If the producer is guilty of furnishing false information for three times under sub-rule (5) his registration shall be cancelled permanently.
- (7) The money collected as environmental compensation under this rule shall be kept by CPCB in a separate account and shall be utilised only for collection and recycling of uncollected, legacy, orphan waste and waste in respect of which the environment compensation is levied, research and development, incentivizing recyclers, financial assistance to local bodies for managing waste management projects and on other heads as decided by the committee.
- (8) The modalities and heads for utilisation of the funds shall be decided by the Steering Committee with the approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

CHAPTER-VII

MISCELLANEOUS

- **19. Reporting and information sharing.** (1) The local authority shall submit an annual report to the State Board through online portal by April 30 each year indicating the status of implementation of these rules in its jurisdiction during the preceding financial year.
- (2) The State Board shall submit an annual report to the Central Board, through online portal by 30th May each year indicating the status of implementation of these rules in the State or Union territory during the preceding financial year.
- (3) The Central Board shall examine and analyse the reports received from the States Boards, and submit a report to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change by 30th June each year indicating the status of implementation of these rules in the country during the preceding financial year.
- (4) The entities registered under these rules shall furnish information on the online portal for collation of data on receipt, storage, recycling and dispatch of waste during preceding year, by 15th May each year.
- **20**. **Accident reporting.** Where an accident occurs during collection, transportation, storage or processing of waste, the manager or in charge of the entity shall report immediately or within 24 hours about the incident to the State Board through telephone and e-mail.
- 21. Verification and audit. –The Central Board by itself or through a designated agency shall undertake the compliance assessment of entities on extended producer responsibility, utilization of waste, and other provisions of these rules through inspection and periodic audit, as deemed appropriate, and take actions against violations under rules of these rules.
- **22.** Committee. (1) There shall be a Steering Committee to oversee the implementation of these rules, consisting of following members, namely to be appointed by the Central Government, namely: -
 - (a) the chairperson of the Central pollution Control Board-Chairperson;
 - (b) one representative each from the Union Ministry of-
 - (i) Environment, Forest and Climate Change;
 - (ii) Housing and Urban Affairs;
 - (iii) Road Transport and Highways;
 - (iv) Panchayati Raj;
 - (v) Rural Development;
 - (vi) Jal Shakti;
 - (c) one representative of the NITI Ayoag.
 - (d) one representative each from the Bureau of Indian Standards, Indian Roads Congress, National Council of Cement and Building Materials, Central Road Research Institute, National Council of Building Materials;
 - (e) two representatives each from real estate sector, infrastructure sector, and recycling industry;
 - (f) one representative each from three State Governments on a rotation basis;
 - (g) one representative each from three State Boards on rotation basis;
 - (i) Member Secretary, Central Pollution Control Board Member Convener.
- (2) The Steering Committee may co-opt such members and special invitees as may be deemed appropriate for conducting the business of the Committee.
- (3) There shall be a Monitoring Committee to supervise the implementation of these rules in the State or Union territory consisting of the following members to be appointed by the State Government namely:-
 - (a) Secretary in charge of the Department of the State Government dealing with the environment-chairperson;
 - (b) a representative each of the Department of the State Government dealing with-

- (i) Urban Development and Municipal Administration;
- (ii) Road and Transport;
- (iii) Rural Development and Panchayat;
- (iv) Land Management and Revenue;
- (c) a representatives each of the real estate, infrastructure sector, and recycling industry;
- (d) one representatives each from three Urban Local bodies of the State;
- (4) The Monitoring Committee may co-opt such members and special invitees-as may be deemed appropriate for conducting the business of the Committee.
- (5) The Steering Committees shall decide upon the disputes arising and may refer any issue to the Central Government for taking appropriate decision.
- (6) The Steering Committee shall review the targets, weightage and manner of recycling in view of the technological advancements and other factors and make recommendations to the Central Government for amendment of these rules.
- (7) The Steering Committee shall be responsible for overall monitoring and supervision of implementation of these rules and take such measures, as it deems necessary for proper implementation of these rules.
- (8) The members of the Steering Committee and the Monitoring Committee may be paid such allowances for attending the meeting of the Committee as may be determined by the Central Government and the State Government, respectively.
- **23. Appeal.** (1) Any person or entity aggrieved by an order made under these rules may, within a period of thirty days from the date on which the order is communicated to him, prefer an appeal to the Secretary in-charge of the Department of the State Government or Union territory Administration dealing with environment.
- (2) Any person or entity aggrieved by a decision relating to imposition of environmental compensation under subrule (1), may prefer a second appeal within a period of thirty days from the date on which decision was communicated to him to the Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, duly accompanied with the proof of deposit of twenty per cent. of the amount of the environmental compensation, which shall be refunded to him, in case, the decision in appeal comes in favor of the appellant.
- (3) The appellate authority referred to in sub-rule (1) or sub-rule (2) may entertain the appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.
- (4) The appeal shall be disposed of within a period of sixty days from the date of its receipt in the office of the appellate authority.
- **24. Action for contravention of these rules.-** Any person who fails to comply or contravenes the provision of these rules may be liable to be proceeded with in accordance with the provisions of section 15 of the Act.

25. Power to remove difficulties.

The Steering Committee shall examine issues leading to difficulty in the smooth implementation of these regulations and have the power to remove any such difficulty, and may refer any such issues, as deemed fit, for consideration of the Central Government.

THE FIRST SCHEDULE

[See rule 3(1)(y) and 4(2)]

Extended producer responsibility targets for recycling of waste

SI.No.	Year (Y)	Re-construction	Demolition
		Projects*	Projects*
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2025-26	25% of the waste generated in year Y-1	25% of the waste generated in year Y-1
2.	2026-27	50% of the waste generated in year Y-1	50% of the waste generated in year Y-1
3.	2027-28	75% of the waste generated in year Y-1	75% of the waste generated in year Y-1
4.	2028-29 onwards	100% of the waste generated in year Y-1	100% of the waste generated in year Y-1

^{*} Percentage of recyclable waste as assessed by the local authority or development authority in accordance with these rules.

THE SECOND SCHEDULE

[See rules 3(1)(y) and 8(1)]

Minimum targets for utilisation of waste in construction and re-construction

activities

SI.N.	Year	Utilisation of waste targets (% of the total construction material required)
(1)	(2)	(3)
1	2026-27	5%
2	2027-28	10%
3	2028-29	15%
4	2029-30	20%
5	2030-31 and onwards	25%

Note:

- 1. Target for a project will be decided as per year of the approval of the waste utilisation plan.
- 2. Direct produce of construction and demolition waste are (i) Fine aggregates, (ii) Recycled Concrete Aggregates (size 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm or as required); (iii) Recycled Aggregates (5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm or as required), and (iv) Manufactured soil;
- 3. Downstream products manufactured by using recycled construction and demolition waste are (i) Bricks, blocks, tiles, hollow bricks, wall tiles; (ii) Pavers, kerb stones; (iii) Park benches, drain covers, planters, compound wall, fence post, tree guards, tree pit covers, manhole covers, underground cable covers, pre-cast boundary wall panels and poles, and other such items.
- 4. The utilisation of waste shall be such that it will not have any adverse impact on the quality of construction and safety parameters.

Schedule III THE THIRD SCHEDULE

[See rules 3(1)(y) and 8(1)]

Minimum targets utilisation of waste in road construction

SI.NO.	Year	Waste utilisation Mandate (% of the total road construction material required)
(1)	(2)	(3)
1.	2026-27	5%
2.	2027-28	5%
3.	2028-29	10%
4.	2029-30	10%
5.	2030-31 and onwards	15%

Note: 1. Targets of a road construction project will be decided as per year of the commencement of the road construction project.

- 2. As per IRC: 121-2017, Recycled aggregates and Recycled concrete aggregates derived from construction and demolition waste, after processing, can be used in road construction applications like: (i) embankments, including earthen embankments (as fill material); (ii) flexible pavements (as granular sub-base, cement stabilised base, sub-base course);(iii) concrete pavements (in dry lean concrete, roller compacted concrete, plain cement concrete; and (iv) paving blocks and kerb stones.
- 3. The powdered construction and demolition waste, produced as a result of crushing during the production of aggregates, can be utilised as sub-base material after cement stabilisation to meet technical requirements like gradation, strength, water absorption, soundness, etc.
- 4. The utilisation of waste shall be such that it will not have any impact on quality of road construction and safety parameters. and in special cases if it is not possible for use waste in some road construction project then exemption for the same may be obtained from the concerned authority i.e. Central Pollution Control Board for National Highways Authority of India Project and State Pollution Control Board/ Pollution Control Committees for State Road Projects.

[F. No. HSM-12/152/2022-HSM]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.